रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-703/2025/2780/22-2-2023-17(242)/2021
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय प्रताप सिंह उर्फ विजय कुमार सिंह उर्फ बाबू सिंह (बन्दी संख्या-121/20) पुत्र श्री केशरी प्रताप सिंह उर्फ केशरी सिंह, निवासी सरवन, थाना-गोसाईगंज, जनपद-सुल्तानपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-209/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर के दण्डादेश दिनांक 28.09.1984 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.11.2015 द्वारा धारा-302 में आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत करते हुए धारा-304(1) के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.08.2023 तक 05 वर्ष, 01 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 00 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-703/2025/2780(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।